भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4017

18.08.2025 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व

4017. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में गोल्डन गेको (कैलोडैक्टाइलोड्स ऑरियस), स्लेंडर लोरिस, भारतीय विशाल गिलहरी, माउस डियर (मुशिका जिंका) और पीले गले वाले बुलबुल जैसी कई लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संरक्षण, पर्यावास पुनर्स्थापन और संरक्षण हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए रिजर्व में कोई वैज्ञानिक अध्ययन, जैव विविधता निगरानी कार्यक्रम या पारिस्थितिकी-विकास पहल आरम्भ की गई है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा गश्त को मजबूत करने, पर्यावास अतिक्रमण को रोकने और वन्यजीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) योजना या किसी अन्य योजना के अंतर्गत निधि आवंटित की गई है या आवंटित किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रायोजित योजना "वन्यजीव पर्यावास विकास" के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों के संरक्षण तथा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों की पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के तहत समर्थित कार्यकलापों में प्रबंधन योजना, अनुसंधान तथा जागरूकता को सुदृढ़ बनाना, शिकार-रोकथाम के उपाय, संरक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, पर्यावास सुधार, पर्यावरण-विकास, मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में राज्य सरकार द्वारा सभी संरक्षण के प्रयास, पर्यावास पुनर्स्थापन और सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बायोस्फीयर रिजर्व के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संरक्षण उपायों को एकीकृत तरीके से लागू किया गया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार

ने श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, जो शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, में स्लेंडर लोरिस की आबादी का आकलन किया है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, शेषाचलम बायोस्फीयर रिज़र्व की जीव विविधता पर शोध अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भी जैव-ध्वनिक तकनीक का उपयोग करके पक्षी सर्वेक्षण कर रहा है।

(ग): प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 और नियम, 2018 का उद्देश्य प्रतिपूरक वनीकरण, अवनत वनों की बहाली, वन्यजीव पर्यावासों के संवर्धन और जैव विविधता संरक्षण जैसे कार्यकलापों के माध्यम से वन भूमि के गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग से होने वाले वनावरण और संबद्ध पारि-प्रणाली सेवाओं के नुकसान को कम करना है। आंध्र प्रदेश राज्य में गश्त को मजबूत करने, वन्यजीवों के पर्यावासों पर अतिक्रमण को रोकने और वन्यजीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य काम्पा प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान क्रमशः कुल 58.68 करोड़ रूपए और 62.95 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

*****